

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं./पार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
760/2014	88,89,92A,188 RTA	उदुपुआ	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कांतिबाई	बनाम	सरकार	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

24.9.14 अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,89,92A,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.11.2014 को पेश हो।

3-11-14 पत्रावली पेश हुई नवीन नारी उपा.। जर्ज वारी प्रेषण साकार उपा.। जवाब छे लक भएछे श्री पत्रावली नारी जवाब दिनांक 26-11-14 को पेश हो।

26-11-14 आज पीठारीन अधिकारी के दौरे अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 26/11/15 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा/बारा

21/15 पत्रावली पेश, वकील वादी उपस्थित हो। जोका रिपोर्ट रिपोर्ट सप्त रिपोर्ट तहसील दर दखल से नारी उपरु प्रकरण कामाती रिपोर्ट दि. 25/2/15 को पेश हो।

6/5/15 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पत्रावली दि. 26/11/15 को पेश हो।
 दि. 26/11/15 को पेश हो।

26-8-15 आज पीठारीन अधिकारी के दौरे अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 26/11/15 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा/बारा

23/15 वकील वादी उप.। नदी लदार दखल हो। जोका रिपोर्ट रिपोर्ट दखल कर रिपोर्ट 27/11/16 को पेश हो।

तस्वीर
26/11
22/11

दिनांक

27/16

नकील जयल अ/ तहसीलदार 2003 के विपरीत
 जीत कर दिनांक 23/2/16 को पेश है।

23/2/16

आज पीठाधीन अधिकारी के लिये अवकाश
 पर होने के कारण पत्रावली पेश करने में
 दिनांक 12/4/16 को पेश है।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा बारा

12/4/16

आज पीठाधीन अधिकारी के लिये अवकाश
 पर होने के कारण पत्रावली पेश करने में
 दिनांक 22/5/16 को पेश है।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा बारा

2/5/16

आज पीठाधीन अधिकारी के लिये अवकाश
 पर होने के कारण पत्रावली पेश करने में
 दिनांक 17/6/16 को पेश है।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा बारा

17/6/16

न्याय आदेश दिनांक 2016 के मजबूत पत्रावली
 मजबूत आदेश पेश हुई, वादिया उपनिवृत्त है, तहसीलदार
 वनदा उपनिवृत्त है, वाद प्रकाश पदमर मजबूत आदेश सुनाया
 शपथ, वादिया का 85 आदेश का वाद है कि शपथ उपनिवृत्त
 तहसीलदार वनदा ख. नं. 77/7 शकवा 15 बीघा वादिया के शकते
 जारी की है, जो खसरा नं. 77 का शक भाग है। वादिया से
 सुना गया। पत्रावली का फलफूल फल दिया गया। पत्रावली में
 उपलब्ध नवल जमावली गाम उपनिवृत्त तहसीलदार समल -
 2067-70 शकवा सं. 53 अक्रुणर ख. नं. 77/7 वादिया के शकते
 दर्ज है, प्रतिवादी गण शकवा सरकाश भी जोरते हैं इनके पावतद विधि
 आता न्याय संगत नहीं है। तहसीलदार वनदा के निर्णयित विधि
 जाता है, प्रकरण तरमीम से सम्बन्धित विवाद का है, वादिया
 के शकते की धारा की तरमीम कर दिया गये। निर्णय सुनाया
 गया, तहसीलदार वनदा के शकते प्रकरण के मजबूत शकवा शकित
 दफतर है। उल्लेखनिप है कि तहसीलदार वनदा, वनविभाग
 से जानकारी करे कि प्रकरी की मजबूत शकवा वनविभाग की मजबूत है।
 अक्रुणर वादी के पास यह मजबूत शकवा प्रकरी से धारा शकवा परीक्षण
 करने के उपरान्त ही उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करे। यदि वन विभाग
 की मजबूत पत्री शकवा उपरान्त आवे तो तरमीम जारी करे।

~~17/6/16~~
~~17/6/16~~